

2

टी0ए0 गिरा केस सं0 367/2018-19

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

25/03/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता सुरेश बोदरा, एवं बाबुलाल बोदरा पिता- स्व० चरण बोदरा, निवासी ग्राम- तमाड़बाँध, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 14, प्लॉट नं०- 551, रकवा- 0.04 एकड़ भूमि क्रेता जोगना बारी, पिता- स्व० सोंगा बारी, निवासी ग्राम- बारीजल, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि खतियान में आवेदक के पिता के नाम पर दर्ज है। पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 238, दिनांक- 25.03.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षा हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड क्रेता जोगना बारी, पिता- स्व० सोंगा बारी, निवासी ग्राम- बारीजल, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 4,45,000.00/- (चार लाख पैतालीस हजार रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास शेष 2.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदिका के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुरेश बोदरा, एवं बाबुलाल बोदरा पिता- स्व० चरण बोदरा, निवासी ग्राम- तमाड़बाँध, थाना- मुफसिल क्रेता जोगना बारी, पिता- स्व० सोंगा बारी, निवासी ग्राम- बारीजल, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 4,45,000.00/- (चार लाख पैतालीस हजार रुपये) में मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 14, प्लॉट नं०- 551, रकवा- 0.04 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ... स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।